न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 513 सन 2019
अनवान :—

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 6/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 148/224 के खसरा न0 481/4 की 3.9580हैक , खसरा न0 482/3 की 1.5170हैक व खसरा न0 506/2 की 1.5810हैक व खसरा न0 552/1 की 0.5060 ,खसरा न0 646/2 की 2.4410हैक कुल 10.0030हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के पिता है काफी वृद्व हो चुके है एवं काश्त करने में असमर्थ है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवार की शान्ति सदभावना बनाये रखने के लिये अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों वादीगण के पक्ष में किया जा चुकाहै इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भैराराम पुत्र बालुराम के देहान्त होने पर विरास्तन

से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 148/224 के खसरा न0 481/4 की 3.9580हैक , खसरा न0 482/3 की 1.5170हैक व खसरा न0 506/2 की 1. 5810हैक व खसरा न0 552/1 की 0.5060 ,खसरा न0 646/2 की 2.4410हैक कुल 10. 0030हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें द्रर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के पिता है काफी वृद्व हो चुके है एवं काश्त करने में असमर्थ है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवार की शान्ति सदभावना बनाये रखने के लिये अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों वादीगण के पक्ष में किया जा चुकाहै इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 148/224 की 2.4410हैक कुल 10.0030हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत भु0 प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 एवं उससे पूर्व व मिलान क्षैत्रफल के अनुसार वाद भूमि भैराराम पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा भैराराम पुत्र बालुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने

के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 148/224 के खसरा न0 481/4 की 3.9580हैक , खसरा न0 482/3 की 1.5170हैक व खसरा न0 506/2 की 1.5810हैक व खसरा न0 552/1 की 0.5060 ,खसरा न0 646/2 की 2.4410हैक कुल 10.0030हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना,अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 भादरराम पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 513 सन 2019 निर्णय दिनांक– 06/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 146/224 के खसरा न0 481/4 की 3.9580हैक , खसरा न0 482/3 की 1.5170हैक व खसरा न0 506/2 की 1.5810हैक व खसरा न0 552/1 की 0.5060 ,खसरा न0 646/2 की 2.4410हैक कुल 10.0030हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)